

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

5 $\frac{5}{17}$

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय रघु,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-16-5-17 को पेश हो

16 $\frac{5}{17}$

हुकमवाही पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई।
~~अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी~~
~~को पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक-11-2-17 को पेश हो

11 $\frac{7}{17}$

हुकमवाही पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई।
~~अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी~~
~~को पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक-12-9-17 को पेश हो

12 $\frac{8}{17}$

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय रघु,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-23-1-17 को पेश हो

23 $\frac{11}{17}$

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय रघु,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-11-1-18 को पेश हो

11-1-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय रघु,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को ~~पत्र~~ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-7-3-18 को पेश हो

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नाम्बर अहकाम उ तामील
7.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 20.4.18 को पेश हो। 8.0.7.18 एवं को पेश हो।</p>	
20.04/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 21.6.18 को पेश हो।</p>	
30.08	<p>दिलजाही पेश की मैन्पॉइंट रीगल में पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 22/11/18</p>	
25.04/19	<p>दिलजाही पेश की पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 08.08.19 को पेश हो।</p>	
08.08/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 14/11/19 को पेश हो।</p>	
14.11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी को पेश हो। दिनांक 02/12/19 को पेश हो।</p>	
02.12/19	<p>पत्रावली पेश हुई। उज्ज्वल मैन्पॉइंट-बार आवाज लगे गई। कावपूर आवाज लगेवाले वकूलाग उमयपन्न अपवा पदकांत में से कोई भी हाजिर मसालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही उज्ज्वल मैन्पॉइंट एवं अदम पेशी में खरीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से जाय हो तथा साफ तामील राखित फल हो। नियम खुले न्यायालय में खलया गया।</p>	

2.12.19